131

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 570–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 8–2–2012 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 14 अ 12/2010–11 निगरानी

1– श्रीमती रमा सोनी पत्नि स्व.निजानंद सोनी
2– मधुप सोनी 3– संदीप सोनी 4– प्रषॉत सोनी
सभी पुत्रगण स्व.निजानंद सोनी
5– सुश्री मनीशा सोनी
6– सुश्री प्रतिभा सोनी दोनों पुत्रियॉ स्व.निजानंद सोनी
सभी निवासी बेलगवां तहसील त्योंथर जिला रीवा ——आवेदकगण

विरूद्ध

बयराम प्रसाद पुत्र मंसाराम
ग्राम बेलगवां तहसील त्योंथर जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अशोक कुमार)

आ दे श

(आज दिनांक 18 –07 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्र0क0 14 अ 12/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8–2–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार त्योंथर जिला रीवा के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 208/2 रकबा 0.40 एकड़ स्थित ग्राम बेलगवॉ का सीमांकन किया जाय। हलका पटवारी इटाव ने दिनांक 10–7–2010 को सीमांकन किया जिस पर से तहसीलदार त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 5 अ 2009–10 अ–12 में

आदेश दिनांक 12-7-2010 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। तहसीलदार त्योंथर के आदेश दिनांक 12-7-2010 के विरूद्ध आवेदकगण के स्वर्गीय पिता निजानंद सोनी ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर, जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 14 अ-12/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-2-12 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर कलेक्टर रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये, जिसकी एक प्रति अनावेदक के अभिभाषक को प्रदान की गई। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ लेखी बहस के क्रम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक का ग्राम बेलगवॉ की भूमि सर्वे क्रमांक 208/2 रकबा 0.40 एकड़ के सीमांकन का आवेदन आने पर तहसीलदार त्योंथर ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 17-6-10 लिखकर प्रकरण पॅजीबद्ध किया है तथा इसी आर्डरशीट में अंकित किया है कि राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी हलका को परवाना जारी हो, किन्तु राजस्व निरीक्षक को जारी किये गये परवाना की प्रति तहसील न्यायालय के 5-अ-12/2009-10 में संलग्न नहीं है एंव आर्डरशीट के हासिये में राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी को इस आदेश को टीप भी नहीं कराया गया है। हलका पटवारी व्दारा सीमांकन उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 6 पर संलग्न है जिसमें भी राजस्व निरीक्षक के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है कि सीमांकन के समय वह उपस्थित रहे हैं अथवा नहीं रहे हैं, अपितु ग्रामवासियों को सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्र में यह उल्लेख है कि सीमांकन दिनांक 10-7-10 को समय (कटा-पिटा अपठनीय) बजे पटवारी हलका इटाव एंव पटवारी हलका कोटराखुर्द के व्दारा सीमांकन कार्य किया जाना है, परन्तु स्थल पर तैयार पंचनामा में पटवारी हलका कोटराखुर्द की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है एंव पंचनामा पर इस पटवारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। पटवारी हलका इटाव 55 ने तहसीलदार त्योंथर को सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 12-7-10 प्रस्तुत किया है इस पर भी पटवारी हलका कोटराखुर्द की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है एंव प्रतिवेदन पर भी इस पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी हलका कोटराखुर्द सीमांकन के समय उपस्थित

नहीं हैं। जहां तक मेढ़िया कास्तकार स्वर्गीय निजानन्द के सीमावर्ती कृषक होने एंव उसे सूचना दिये जाने का प्रश्न है? हलका पटवारी व्दारा मेढ़िया कास्तकारों को जारी की गई सूचना दिनांक निल में केवल पांच मेढ़िया कास्तकारों के नाम लिखे हैं जिनमें स्वर्गीय निजानंद का नाम भी है परन्तु मेढ़िया कास्तकार सरल कमांक 2,3,4 के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है अर्थात हलका पटवारी ने इन्हें सूचना नहीं दी है जिससे प्रमाणित है कि स्वर्गीय निजानंद को हलका पटवारी ने सूचना नहीं दी है। इसी प्रकार हलका पटवारी ने 10-7-10 को सीमांकन करके दिनांक 12-7-10 को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एंव तहसीलदार त्योंथर ने 12-7-10 को ही आर्डरशीट लिखकर सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी है । स्पष्ट है कि ग्रामीणों को आपत्ति आमंत्रण के लिये समय तक नहीं दिया गया, परन्तु अपर कलेक्टर, जिला रीवा ने आदेश दिनांक 8-2-12 पारित करते समय उक्त कमियों पर ध्यान न देते हुये निगरानी निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण तहसीलदार त्योंथर व्दारा पारित आदेश दिनांक 12-7-2010 एंव कलेक्टर, जिला रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 8-2-12 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, जिला रीवा व्दारा प्र0क0 14 अ 12/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-2-12 तथा तहसीलदार त्योंथर व्दारा प्रकरण कमांक .5 अ 2009-10 अ-12 में आदेश दिनांक 12-7-2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार त्योंथर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह वाद विचारित भूमि के समस्त सीमावर्ती कृषकों को सूचना का सम्यक निर्वहन कराते हुये राजस्व निरीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से ई.टी.एस.मशील के माध्यम से सीमांकन करायें, तदुपरांत हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर